चित्रकूट-पुलिस

(1). कर्वी बस स्टैण्ड में व्यापारी के साथ हुयी चोरी/टप्पेबाजी की घटना का अनावरण 01 अभियुक्त गिरफ्तार, लगभग 05 किलो चांदी की वस्तुऐं बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस एवं थाना कोतवाली कर्वी की संयुक्त टीम द्वारा कर्वी बस स्टैण्ड से व्यापारी के साथ हुयी टप्पेबाजी घटना का सफल अनावरण करते हुये एक टप्पेबाज को चोरी की लगभग 05 किलो चांदी की वस्तुओं के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अमरनाथ निषाद पुत्र स्व0 रामराज निवासी गोहनारपुर थाना आलापुर जिला अम्बेडकर नगर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 34/2000 धारा 379,411 भादवि कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर
2.मु0अ0सं0 767/2000 धारा 379,411 भादवि कोतवाली बाराबंकी जनपद बाराबंकी
3.मु0अ0सं0 92/2000 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट भादवि थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर
4.मु0अ0सं0 306/2010 धारा 08/22 एनडीपीएस एक्ट थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर
5.मु0अ0सं0 610/2011 धारा 379,411 भादवि0 थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
6.मु0अ0सं0 263/2008 धारा 03/04 गुण्डा अधिनियम थाना अलापुर जिला अम्बेडकर नगर
7.मु0अ0स0 278/2008 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़
8.मु0अ0सं0 172/2016 धारा 354ए,452,504,506 भादवि0 थाना अलापुर जिला अम्बेडकर नगर
9.मु0अ0सं0 69/2012 धारा 03/04 गुण्डा अधिनियम थाना अलापुर जिला अम्बेडकर नगर
10.मु0अ0सं0 272/2009 धारा 110जी सीआरपीसी थाना अलापुर जिला अम्बेडकर नगर
11. मु0अ0सं0 244/24 धारा 379/411 भादवि0 थाना कोतवाली कर्वी

बरामदगी-

(1) 20 थाली सफेद धातु
(2) 25 प्लेट सफेद धातु
(3) 01 जग सफेद धातु
(4) 03 गिलास सफेद धातु
(5) 100 सुपाड़ी सफेद धातु
(6) 03 नारियल सफेद धातु
(7) 11 सिन्दूरदानी सफेद धातु कुल वजन (लगभग 05 किलो)

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

स्थान- डा0 राममनोहर लोहिया जू0 स्कूल के पास पहाड़ी रोड थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट, **दिनाँक** 17.04.2024 **समय-**20:10 (रात्रि)

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 06.04.2024 को कर्वी बस स्टैण्ड से सोने-चांदी के व्यापारी श्री भगवान सिंह पुत्र स्व0 गनेश सिंह निवासी के 46/146 हरतीरथ, कोतवाली काशी कमिश्नरेट वाराणसी के साथ अज्ञात चोरों ने उनका चांदी की

वस्तुओं से भरा बैग रोडबेज बस से चोरी कर लिया था। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 244/24 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना का संज्ञान लेकर प्रभारी एसओजी श्री एम.पी. त्रिपाठी एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को घटना के अनावरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। एसओजी/सर्विलांस टीम एवं थाना कोतवाली कर्वी में नियुक्त निरीक्षक अपराध श्री राकेश कुमार सिंह की संयुक्त टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये मुखबिर की सूचना पर दिनाँक 17.04.2024 की रात्रि लगभग 08.10 बजे डा0 राममनोहर लोहिया जू0 स्कूल के पास पहाड़ी रोड से अभियुक्त अमरनाथ निषाद पुत्र स्व0 रामराज निवासी गोहनारपुर थाना आलापुर जनपद अंबेडकर नगर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक बैग में 20 थाली सफेद धातु व 25 प्लेट सफेद धातु, 01 जग सफेद धातु, 03 गिलास सफेद धातु , 100 सुपाड़ी सफेद धातु , 03 नारियल सफेद धातु, 11 सिन्दूरदानी सफेद धातु **कुल वजन लगभग 05 किलो** बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूंछतांछ में बताया कि दिनाँक 06.04.2024 को मैने अपने 03 साथियों के साथ जीरो रोड बस स्टैण्ड प्रयागराज से रोडवेज बस में बैठे चांदी के व्यापारी का झोला देखकर रोडवेज बस का पीछा किया था। रोडवेज बस स्टैंड कर्वी चित्रकूट से मैंने मौका पाते ही बस में बैठे व्यापारी का झोला चोरी कर लिया था तथा अपने साथियों की मदद से मोटरसाइकिल में रखकर मौके से भाग गये थे। हम चारों ने चोरी के माल को आपस में बटवारा किया था, जो माल आपने बरामद किया है, उसमें से इतना मेरे हिस्से में आया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं चोरी का माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी। शेष तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

एसओजी/सर्विलांस टीम

1.प्रभारी एसओजी/सर्विलांस श्री एम.पी त्रिपाठी
2.मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुशवाहा
3.मुख्य आरक्षी नितेश समाधिया
4.आरक्षी रोहित सिंह
5.आरक्षी आशीष यादव
6.आरक्षी रोशन सिंह
7.आरक्षी गोलू भार्गव
8.आरक्षी राघवेन्द्र सिंह
9.आरक्षी पवन राजपूत
10.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा

थाना कोतवाली कर्वी की पुलिस टीमः-

1.निरीक्षक अपराध कोतवाली कर्वी श्री राकेश कुमार सिंह
2.उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता
3.आरक्षी राहुल देव

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 17.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता

है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा-गर्दी करने वाले अभियुक्त 06 अभियुक्तों पर मिनी गुण्डा की कार्यवाही की।
(i). प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार द्वारा अभियुक्त करन पुत्र दुर्ग प्रसाद 2. दुर्गा प्रसाद पुत्र रामखिलावन 3.कैलाश पुत्र शारदा निवासीगण गोसाईंपुर मजरा पराको थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की।
(ii). प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी द्वारा अभियुक्त 1.लालजी पुत्र राजनारायण निवासी हरिशनपुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 2. मुकेश द्विवेदी पुत्र भोला प्रसाद द्विवेदी दरसेंडा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की।
(iii). प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा अभियुक्त रामबरन पुत्र गणेश प्रसाद निवासी ओरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 139 लीटर कच्ची शराब बरामद की।
(i).उ0नि0 श्री मुकेश सिंह परिहार मानिकपुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त मनोज पुत्र मोरिस निवासी गिदुरहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 100 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया ।
(ii).उ0नि0 श्री सुशील चन्द्र निगम थाना बहिलपुरवा तथा उनके हमराही आरक्षी द्वारा अभियुक्त उमेश कुमार मवासी पुत्र रामनरेश निवासी रामनगर खोखला थाना मझगवां जनपद सतना म0प्र0 को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।
(iii).उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना भरतकूप तथा उनके हमराही आरक्षी द्वारा अभियुक्त लाला रवत पुत्र अच्छेलाल रावत निवासी खजांची की डाफई मजरा अकबरपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 29 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मादक पदार्थो की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी खण्डेहा उ0नि0श्री विनय विक्रम सिंह तथा हमराही द्वारा अभियुक्त बउआ केसरवानी उर्फ अमित केसरवानी पुत्र संतोष केसरवानी निवासी कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 01 किलो 325 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 किलो 325 ग्राम गांजा

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह चौकी प्रभारी खण्डेहा

2.आरक्षी प्रवीण पाण्डेय

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना भरतकूप पुलिस टीम ने अभियुक्त अखिलेश कुमार पुत्र प्रभुदयाल यादव ग्राम तराव थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को चोरी की 02 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 15.04.2024 को वादी 1.राममूरत निवासी तराव 2. वादी गोपाल निवासी दुगवा द्वारा थाना भरतकूप पर सूचना दी गई कि उनकी मोटरसाइकिल हीरो डीलक्स एवं बजाज प्लेटिना को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई है सूचना पर थाना भरतकूप में 1.मु0अ0सं0 59/024 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात 2.मु0अ0सं0 60/024 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। चोरी की घटना के शीघ्र अनावरण हेतु थानाध्यक्ष भरतकूप द्वारा उ0नि0 श्री बालकिशन, उ0नि0 श्री राजकुमार एवं उनकी टीम को लगाया गया। थाना भरतकूप पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर फुटवा चौकी रेलवे पटरी के बाएं गैंग रेस्ट रूम वहद ग्राम अकबरपुर से अभियुक्त अखिलेश कुमार पुत्र प्रभुदयाल यादव निवासी ग्राम तराव थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के कब्जे से चोरी की गई 02 अदद मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स व बजाज प्लेटिना बरामद की गई। मुकदमा उपरोक्त में माल बरामदगी के आधार पर धारा 411 की बढ़ोत्तरी की गई।

बरामदगीः-

02 अदद मोटरसाइकिल हीरो एच0एफ0 डीलक्स ,बजाज प्लेटिना

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री बालकिशुन
2.उ0नि0 श्री राजकुमार
3.आरक्षी शिवम मिश्रा
4.आरक्षी विजय यादव
5.आरक्षी सतीश

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्ष प्रशांत कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन/एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2018 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रघुनंदन पुत्र बूंदा कुटार निवासी ममसी बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 2000 रूपए के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन/एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 54/2016 धारा 279,338,427 को 2500 रूपए के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना भरतकूप पुलिस टीम ने अभियुक्त अखिलेश कुमार पुत्र प्रभुदयाल यादव ग्राम तराव थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को चोरी की 02 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 15.04.2024 को वादी 1.राममूरत निवासी तराव 2. वादी गोपाल निवासी दुगवा द्वारा थाना भरतकूप पर सूचना दी गई कि उनकी मोटरसाइकिल हीरो डीलक्स एवं बजाज प्लेटिना को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई है सूचना पर

थाना भरतकूप में 1.मु0अ0सं0 59/024 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात 2.मु0अ0सं0 60/024 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। चोरी की घटना के शीघ्र अनावरण हेतु थानाध्यक्ष भरतकूप द्वारा उ0नि0 श्री बालकिशन, उ0नि0 श्री राजकुमार एवं उनकी टीम को लगाया गया। थाना भरतकूप पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर फुटवा चौकी रेलवे पटरी के बाएं गैंग रेस्ट रूम वहद ग्राम अकबरपुर से अभियुक्त अखिलेश कुमार पुत्र प्रभुदयाल यादव निवासी ग्राम तराव थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के कब्जे से चोरी की गई 02 अदद मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स व बजाज प्लेटिना बरामद की गई। मुकदमा उपरोक्त में माल बरामदगी के आधार पर धारा 411 की बढ़ोत्तरी की गई।

बरामदगीः-

02 अदद मोटरसाइकिल हीरो एच0एफ0 डीलक्स ,बजाज प्लेटिना

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री बालकिशुन

2.उ0नि0 श्री राजकुमार

3.आरक्षी शिवम मिश्रा

4.आरक्षी विजय यादव

5.आरक्षी सतीश

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा थाना पहाड़ी व उनके हमराही द्वारा वाद संख्या 231/2022 के वारंटी अभियुक्त इंद्रराज पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम अशोह थानां पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।